रजिस्टर्ड नं0 HP/13/SML/2004.

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

(असाधारण)

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, वीरवार, 24 जून, 2004/3 आषाढ़, 1926

हिमाचल प्रदेश विधान सभा सचिवालय

अधिसूचना

शिमला-171004, 24 जून, 2004

संख्या वि0 स0-गवर्नमैंट बिल/1-33/2004.—हिमाचल प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली, 1973 के नियम 140 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश मोटरयान कराधान (संशोधन) विधेयक, 2004

(2004 का विधेयक संख्यांक 8) जो आज दिनांक 24 जून, 2004 को हिमाचल प्रदेश विधान सभा में पुर:स्थापित हो चुका है, सर्वसाधारण की सूचनार्थ राजपत्र में मुद्रित करने हेतु प्रेषित किया जाता है।

जे0 आर0 गाजटा,
सचिव,
हि0 प्र0 विधान सभा।

2004 का विधेयक संख्यांक 8.

हिमाचल प्रदेश मोटरयान कराधान (संशोधन) विधेयक, 2004

(विधान सभा में पुरःस्थापित रूप में)

हिमाचल प्रदेश मोटरयान कराधान अधिनियम, 1972 (1973 का 4) का और संशोधन करने के लिए विधेयक ।

भारत गणराज्य के पचपनवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम ।

1. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश मोटरयान कराधान (संशोधन) अधिनियम, 2004 है ।

धारा 2 का संशोधन ।

2. हिमाचल प्रदेश मोटरयान कराधान अधिनियम, 1972 (जिसे इसमें इसके पश्चात् "मूल अधिनियम" निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 2 में, खण्ड (ज-घ) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड अन्तःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :—

"(ज-ङ) नए यान के सम्बन्ध में "मोटरयान की कीमत" से, ऐसे नए मोटरयान के क्रय के लिए, समस्त करों और उपसाधनों, यदि कोई हो, की कीमत को अपवर्जित करके क्रेता द्वारा व्यौहारी या विनिर्माता को संदत्त की गई रकम अभिप्रेत है ;

(ज-च) "साधारण सेवा मंजिली गाड़ी" से ऐसा मोटरयान अभिप्रेत है जिसे चालक के अतिरिक्त छह से अधिक यात्रियों का, भाड़े या पारिश्रमिक के लिए व्यष्टिक यात्रियों द्वारा या के लिए पृथक किराया संदत्त किए जाने पर, या तो पूरी यात्रा के लिए या यात्रा के पड़ाव के लिए, वहन करने को निर्मित या अनुकूल बनाया गया है, जिसमें प्रत्येक यात्री के लिए बैठने का स्थान 375 वर्ग मिलिमीटर से कम न हो और टांगों के लिए न्यूनतम तथ स्थान 254 मिलिमीटर से कम न हो ;

(ज-छ) "सेमी डीलक्स सेवा मंजिली गाड़ी" से ऐसा मोटरयान अभिप्रेत है जिसे चालक के अतिरिक्त छह से अधिक यात्रियों का, भाड़े या पारिश्रमिक के लिए व्यष्टिक यात्रियों द्वारा या के लिए पृथक किराया संदत्त किए जाने पर, या तो पूरी यात्रा के लिए या यात्रा के पड़ाव के लिए, वहन करने को निर्मित या अनुकूल बनाया गया है, जिसमें प्रत्येक यात्री के लिए बैठने का स्थान 400 वर्ग मिलिमीटर से कम न हो और टांगों के लिए न्यूनतम स्थान 330 मिलिमीटर से कम न हो ;

(ज-ज) "डीलक्स सेवा मंजिली गाड़ी" से ऐसा मोटरयान अभिप्रेत है जिसे चालक के अतिरिक्त छह से अधिक यात्रियों का, भाड़े या पारिश्रमिक के लिए व्यष्टिक यात्रियों द्वारा या के लिए पृथक किराया संदत्त किए जाने पर, या तो पूरी यात्रा के लिए या यात्रा के पड़ाव के लिए, वहन करने के लिए निर्मित या अनुकूल बनाया गया है, जिसमें प्रत्येक यात्री के लिए बैठने का स्थान 450 वर्ग मिलिमीटर से कम न हो और टांगों के लिए न्यूनतम स्थान 330 मिलिमीटर से कम न हो ;

(ज-झ) "वातानुकूलित सेवा मंजिली गाड़ी" से ऐसा मोटरयान अभिप्रेत है जिसे

चालक के अतिरिक्त छह से अधिक यात्रियों का, भाड़े या पारिश्रमिक के लिए व्यष्टिक यात्रियों द्वारा या के लिए पृथक किराया संदत्त किए जाने पर, या तो पूरी यात्रा के लिए या यात्रा के पड़ाव के लिए, वहन करने के लिए निर्मित या अनुकूल बनाया गया है, जिसमें ऐसी मंजिली गाड़ी के भीतर तापमान विनियमित करने के लिए वातानुकूल उपस्कर लगाया गया हो ;

(ञ-ञ) "रात्री सेवा मंजिली गाड़ी" से ऐसा मोटरयान अभिप्रेत है जिसे चालक के अतिरिक्त छह यात्रियों से अधिक यात्रियों का, भाड़े या पारिश्रमिक के लिए व्यष्टिक यात्रियों द्वारा या के लिए पृथक किराया संदत्त किए जाने पर, या तो पूरी यात्रा के लिए या यात्रा के पड़ाव के लिए, वहन करने के लिए निर्मित या अनुकूल बनाया गया है, जो क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण द्वारा आवंटित/विहित किए गए समयानुसार आरम्भिक स्थान से 5 बजे सायं (अपराह्न) के पश्चात् चले और समाप्ति स्थान पर अगले दिन 5 बजे सुबह (पूर्वाह्न) या इससे पूर्व पहुंचे ;

(ञ-ट) "सन्निर्माण उपस्कर यान" (कंस्ट्रक्शन इक्युपमैंट व्हीकल) से रबड़ टायरड़ (वायवीय टायर सहित), रबड़ पैंडड या स्टील ड्रम व्हील मोउटंड, स्वचालित (सैल्फ परोपैल्ड) उत्खनक (ऐक्सकेवेटर) लोडर, मोबाईल क्रेन, डोज़र, फोर्क लिफ्ट ट्रक, सैल्फ लोडिंग कंक्रीट मिक्चर या कोई अन्य यान निर्माण उपस्कर या उसका संयोजन अभिप्रेत है, जिसे खनन में ऑफ हाईवे आप्रेशनज, प्रौद्योगिक उपक्रम, सिंचाई एवं साधारण निर्माण के लिए परिकल्पित किया गया हो परन्तु जिसे "ऑन या ऑफ" या "ऑन और ऑफ" हाईवे कैपेबिलिटिज के साथ रूपान्तरित और निर्मित किया हो ; और"।

धारा 3 का प्रतिस्थापन।

3. मूल अधिनियम की धारा 3 के लिए निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

"3. (1) इस अधिनियम के अन्य उपबन्धों के अधीन रहते हुए, हिमाचल प्रदेश मोटरयान कराधान (संशोधन) अधिनियम, 2004 के प्रारम्भ पर और से हिमाचल प्रदेश में उपयोग में लाए गए या उपयोग के लिए रखे, अनुसूची-1 के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट समस्त मोटरयानों पर, उस दर पर, जो राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए, परन्तु इस अधिनियम की अनुसूची-1 के स्तम्भ (3) में विनिर्दिष्ट दरों से अनधिक कर, उद्गृहीत, प्रभारित और राज्य सरकार को संदत्त किया जाएगा।

(2) हिमाचल प्रदेश मोटरयान कराधान (संशोधन) अधिनियम, 2004 के प्रारम्भ पर और से, हिमाचल प्रदेश में उपयोग में लाए गए या उपयोग के लिए रखे मोटर साईकिलों/स्कूटरों या निजी मोटरयानों पर, मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 41 की उप-धारा (3) के अधीन जारी रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र की तारीख से 15 वर्ष की अवधि के लिए, उन दरों पर, जो राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए, ऐसे मोटर-साईकिल/स्कूटर या निजी मोटरयानों की कीमत के आधार पर, उसकी कीमत के अधिकतम 10 प्रतिशत के अध्यधीन, कर उद्गृहीत, प्रभारित और राज्य सरकार को संदत्त किया जाएगा।

(3) उप-धारा (1) में किसी बात के होते हुए भी, हिमाचल प्रदेश मोटरयान कराधान (संशोधन) अधिनियम, 2004 के प्रारम्भ पर और से हिमाचल प्रदेश में उपयोग में लाए गए या उपयोग के लिए रखे मोटर कैबज या मैक्सी कैबज, जिन्हें निजी मोटरयान के रूप में परिवर्तित करने के लिए अनुज्ञात किया गया है और पुराने (सैकण्ड हैण्ड)

निजी मोटरयानों, जिन्हें हिमाचल प्रदेश राज्य में पहली बार रजिस्ट्रीकृत किया जाना है, पर, उन दरों पर, जैसी राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए, कराधान प्राधिकारी द्वारा, मोटरयान की मूल कीमत से प्रतिवर्ष 8 प्रतिशत अवक्षयण कटौती के पश्चात्, ऐसे मोटरयान की निर्धारित की जाने वाली कीमत के अधिकतम 10 प्रतिशत के अध्यधीन, कर उद्गृहीत, प्रभारित और राज्य सरकार को संदत्त किया जाएगा:

परन्तु यह कि,—

(क) ऐसे मोटरयानों के मामले में, जिनकी मूल (प्रारम्भिक) कीमत दो लाख पचास हजार रुपए तक है, निम्नतम मूल्य (फ्लोअॅर प्राइस) पचास हजार रुपए से कम नहीं होगी; या

(ख) ऐसे मोटरयानों के मामले में, जिनकी मूल (प्रारम्भिक) कीमत दो लाख पचास हजार रुपए से अधिक है परन्तु पांच लाख पचास हजार रुपए से अधिक नहीं है, निम्नतम कीमत (फ्लोअॅर प्राईस) एक लाख रुपए से कम नहीं होगी, या

(ग) ऐसे मोटरयानों के मामले में, जिनकी मूल (प्रारम्भिक) कीमत पांच लाख पचास हजार रुपए से अधिक है परन्तु दस लाख रुपए से अधिक नहीं है, निम्नतम कीमत (फ्लोअॅर प्राईस) दो लाख रुपए से कम नहीं होगी, या

(घ) ऐसे मोटरयानों के मामले में, जिनकी मूल (प्रारम्भिक) कीमत दस लाख रुपए से अधिक है, निम्नतम कीमत (फ्लोअॅर प्राईस) चार लाख रुपए से कम नहीं होगी, या

(ङ) दो पहिया वाहनों के मामले में निम्नतम कीमत (फ्लोअॅर प्राईस) पांच हजार रुपए से कम नहीं होगी।

(4) उप-धारा (2) और (3) में किसी बात के होते हुए भी, हिमाचल प्रदेश मोटरयान कराधान (संशोधन) अधिनियम, 2004 के प्रारम्भ को और से हिमाचल प्रदेश में उपयोग में लाए गए या उपयोग के लिए रखे मोटर साईकिलों/स्कूटरों या निजी मोटरयानों पर मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 41 की उप-धारा (10) के अधीन उनके रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र के नवीनीकरण की तारीख से, पांच वर्ष की प्रत्येक आगामी अवधि के लिए, ऐसी दरों पर, जैसी अधिसूचना द्वारा राज्य सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए, कर उद्गृहीत, प्रभारित और राज्य सरकार को संदत्त किया जाएगा, परन्तु यह ऐसे मोटर साईकिलों/स्कूटरों या निजी मोटरयानों के, प्रथम रजिस्ट्रीकरण के समय पर संदत्त किए गए कर के पचास प्रतिशत से अधिक नहीं होगा।

धारा 4-क का संशोधन।

4. मूल अधिनियम की धारा 4-क की उप-धारा (2) के परन्तुक में शब्द, चिन्ह और अंक "इस अधिनियम की धारा 3-क में निर्दिष्ट "अनुसूची-III" के स्थान पर "अनुसूची-1" शब्द और चिन्ह प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

धारा 7-क का संशोधन।

5. मूल अधिनियम की धारा 7-क में उप-धारा (5) के पश्चात् निम्नलिखित जोड़ा जाएगा, अर्थात् :—

"(6) जहां कोई स्वामी लगातार दो मास या अधिक की अवधि के लिए इस अधिनियम के अधीन कर या शास्ति के संदाय में व्यतिक्रम करता है और देय कर और शास्ति को किस्तों में जमा करने के लिए अनुमत करने हेतु अनुरोध करता है तो कराधान प्राधिकारी, उससे देय कर और शास्ति की रकम के बराबर, प्रतिभूति बन्धपत्र प्राप्त करने के

पश्चात्, ऐसे स्वामी को उस पर परादेय कर और शास्ति को छमाही किस्तों में, इस शर्त के अध्यधीन जमा करने की अनुमति दे सकेगा कि ऐसा स्वामी देय कर और शास्ति की रकम का 25 प्रतिशत तुरन्त प्रथम किस्त के रूप में जमा करेगा।"।

धारा 10 का संशोधन।

6. मूल अधिनियम की धारा 10 में,—

(क) उप-धारा (3) का लोप किया जाएगा; और

(ख) उप-धारा (5) के पश्चात्, निम्नलिखित उप-धारा जोड़ी जाएगी, अर्थात्:—

"(6) जहां कोई व्यक्ति कराधान प्राधिकारी के समाधानप्रद रूप में यह साबित कर देता है कि इस अधिनियम के अधीन मोटरयान पर कर गलत तौर पर उद्गृहीत, प्रभारित और संदत्त किया गया है, तो कराधान प्राधिकारी आयुक्त का अनुमोदन अभिप्राप्त करने के पश्चात्, उस द्वारा इस प्रकार संदत्त किए गए कर का प्रतिदाय करेगा।"।

धारा 14 का संशोधन।

7. मूल अधिनियम की धारा 14 में,—

(क) उप-धारा (2) के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:—

"(2) जब अनुसूची-I या अनुसूची-III में विनिर्दिष्ट किसी मोटरयान का कब्जा या नियन्त्रण रखने वाले रजिस्ट्रीकृत स्वामी या व्यक्ति कराधान प्राधिकारी को लिखित में पूर्व सूचना दे देता है कि मोटरयान का एक मास से अन्यून परन्तु तीन मास से अनधिक किसी विशिष्ट अवधि के लिए किसी सार्वजनिक स्थान में उपयोग नहीं किया जाएगा और ऐसे मोटरयान का रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र, रूट परमिट सहित सम्बन्धित कराधान प्राधिकारी के पास जमा करवा देता है तथा उसकी अभिस्वीकृति प्राप्त कर लेता है तो, उसे उस अवधि के लिए कर के संदाय से छूट दी जाएगी और कराधान प्राधिकारी, पुलिस अधीक्षक, सम्बन्धित क्षेत्रीय प्रबन्धक हिमाचल पथ परिवहन निगम और निदेशक परिवहन को लिखित में भी यह सूचित करेगा कि वे यह सुनिश्चित करें कि ऐसा यान विनिर्दिष्ट अवधि के दौरान किसी सार्वजनिक स्थान में उपयोग में नहीं लाया गया।"; और

(ख) उप-धारा (6) का लोप किया जाएगा।

धारा 16 का संशोधन।

8. मूल अधिनियम की धारा 16 में, उप-धारा (2) में, "यान की सुरक्षित अभिरक्षा के लिए ऐसे कदम उठाएगा या उठवाएगा जैसे वह आवश्यक समझें" शब्दों के स्थान पर "ऐसे यान को नज़दीक के पुलिस थाने के प्रभारी अधिकारी की सुरक्षित अभिरक्षा में या किसी अन्य स्थान में, जिसे वह ऐसे यान की सुरक्षित अभिरक्षा के लिए आवश्यक समझें, यान के स्वामी की लागत पर ऐसी दरों पर, जैसी विहित की जाए, रखेगा" शब्द और चिन्ह रखे जाएंगे।

उद्देश्यों और कारणों का कथन

हिमाचल प्रदेश मोटरयान कराधान अधिनियम, 1972 के अधीन मोटरयानों अर्थात् साधारण सेवा मंजिली गाड़ी, सेमी डीलक्स सेवा मंजिली गाड़ी, डीलक्स सेवा मंजिली गाड़ी, वातानुकूलित सेवा मंजिली गाड़ी, रात्रि सेवा मंजिली गाड़ी और सन्निर्माण उपस्कर यान (कन्स्ट्रकशन इक्युपमेंट व्हीकल) की परिभाषाएं उपबन्धित नहीं की गई है जिसके कारण विधिक जटिलताएं हो सकती हैं। इसके अतिरिक्त पद, "मोटरयान की कीमत", भी उपर्युक्त अधिनियम में परिभाषित नहीं है। इसलिए इन पदों (अभिव्यक्तियों) की परिभाषाओं का उपबन्ध इस अधिनियम में करने का विनिश्चय किया गया है। इसके अतिरिक्त निजी मोटरयान का रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र 15 वर्ष तक विधिमान्य है और तत्पश्चात् इसे पांच वर्ष की प्रत्येक आगामी अवधि के लिए नवीकृत किया जाता है। जबकि ऐसे निजी यान पर कर जीवनकाल (लाइफ टाइम) के लिए प्रभारित किया जाता है जिसमें राजकोष को अत्याधिक राजस्व हानि हो रही है। अब प्रथमतः 15 वर्ष की अवधि के लिए और तत्पश्चात् 5 वर्ष की प्रत्येक आगामी अवधि के लिए कर प्रभारित करने का विनिश्चय किया गया है।

वर्तमानतः कर उन परिवहन यानों (मोटर कैबज/मैक्सी कैबज) पर, जो निजी यानों के रूप में परिवर्तित किए गए हैं, तथा पुराने (सेकण्ड हैण्ड) यानों पर, जो हिमाचल प्रदेश राज्य में पहली बार रजिस्ट्रीकृत किए जाने हैं, कर उद्-गृहणीय नहीं है। इसलिए ऐसे यानों पर कर उद्गृहीत करने के लिए उपबन्ध करने का भी विनिश्चय किया गया है। कर के प्रतिदाय का उपबन्ध उस दशा में किया जाना है, जहां इसे गलत तौर पर उद्गृहीत, प्रभारित और संदत्त किया गया है क्योंकि उपर्युक्त अधिनियम में इस प्रकार का कोई उपबन्ध नहीं है। कर के बकाया तथा शास्ति को छः मासिक किस्तों में जमा करने के लिए अनुज्ञात करने हेतु उपबन्ध करना भी प्रस्तावित है ताकि कर का बकाया अधिक न हो जाए और ईमानदार करदाताओं को राहत भी मिल सके। इसके अतिरिक्त उन मामलों में, जहां यान को कर के असंदाय के लिए परिबद्ध कर लिया जाता है और सुरक्षित अभिरक्षा में रखा जाता है, राज्य सरकार को अभिरक्षणीय प्रभारों की दरों को विहित करने हेतु सशक्त बनाने के लिए उपबन्ध किया जाना भी प्रस्तावित है। उपरोक्त प्रस्तावों के कारण उपर्युक्त अधिनियम में संशोधन किए जाने अनिवार्य हो गए हैं।

यह विधेयक उपर्युक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिए है।

जी० एस० बाली,
प्रभारी मन्त्री।

शिमला :
....,जून, 2004.

वित्तीय ज्ञापन

विधेयक का खण्ड 3 निजी यानों पर उनकी 15 वर्ष की अवधि पूरी होने पर 5 वर्ष की प्रत्येक आगामी अवधि के लिए कर का उद्ग्रहण करने का उपबन्ध करता है और यह उन वाणिज्यिक यानों, जो निजी यानों के रूप में परिवर्तित किए जाते हैं, पर भी कर का उद्ग्रहण करने का उपबन्ध करता है। इस उद्ग्रहण से राजकोष को प्रतिवर्ष लगभग एक करोड़ रुपए की प्राप्ति होगी। विधेयक के उपबन्ध अधिनियमित होने पर विद्यमान सरकारी तन्त्र द्वारा प्रशासित होंगे और इससे राजकोष से कोई अतिरिक्त व्यय नहीं होगा।

प्रत्यायोजित विधान सम्बन्धी ज्ञापन

विधेयक का खण्ड 4 राज्य सरकार को, उन मामलों में जहां कर या शास्ति का संदाय न किए जाने पर यान को परिबद्ध/अधिगृहीत किया गया है अभिरक्षणीय प्रभारों की दर विनिर्दिष्ट करने हेतु नियम बनाने के लिए सशक्त करता है।

भारत के संविधान के अनुच्छेद 207 के अधीन राज्यपाल की सिफारिशें

[नस्ति संख्या टी0 पी0 टी0-ए(2) 2/2003]

हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, प्रस्तावित हिमाचल प्रदेश मोटरयान कराधान (संशोधन) विधेयक, 2004 की विषय-वस्तु के बारे में सूचित किए जाने के पश्चात् भारत के संविधान के अनुच्छेद 207 के अधीन उक्त विधेयक को विधान सभा में पुरःस्थापित करने और उस पर विचार करने की सिफारिश करते हैं।

हिमाचल प्रदेश मोटरयान कराधान (संशोधन) विधेयक, 2004

हिमाचल प्रदेश मोटरयान कराधान अधिनियम, 1972 (1973 का 4) का और संशोधन करने के लिए विधेयक।

जी0 एस0 बाली,
प्रभारी मन्त्री।

सुरेन्द्र सिंह ठाकुर,
सचिव (विधि)।

शिमला:
तारीख .... 2004.

AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT

Bill No. 8 of 2004.

THE HIMACHAL PRADESH MOTOR VEHICLES TAXATION (AMENDMENT) BILL, 2004

(AS INTRODUCED IN THE LEGISLATIVE ASSEMBLY)

A

BILL

further to amend the Himachal Pradesh Motor Vehicles Taxation Act, 1972 (*Act No.* 4 *of* 1973).

BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Fifty-fifth Year of the Republic of India, as follows:—

Short title.

1. This Act may be called the Himachal Pradesh Motor Vehicles Taxation (Amendment) Act, 2004.

Amendment of section 2.

2. In section 2 of the Himachal Pradesh Motor Vehicles Taxation Act, 1972 (hereinafter referred to as the "principal Act"), in section 2, after clause (*J-d*), the following clauses shall be inserted, namely:—

"(*j-e*) "price of motor vehicle" in relation to a new vehicle means the amount paid by the purchaser to the dealer or manufacturer for the purchase of such new vehicle excluding all taxes and the price of accessories, if any ;

(*j-f*) "Ordinary service stage carriage" means a motor vehicle constructed or adapted to carry more than six passengers excluding the driver for hire or reward at separate fares paid by or for individual passengers, either for the whole journey or for stages of the journey having seating space of not less than 375 square millimetre for each passenger and minimum leg space of not less than 254 millimetre ;

(*j-g*) "Semi deluxe service stage carriage" means a motor vehicle constructed or adapted to carry more than six passengers excluding the driver for hire or reward at separate fares paid by or for individual passengers, either for the whole journey or for stages of the journey having seating space of not less than 400 square millimetre for each passenger and minimum leg space of not less than 330 millimetre ;

(*j-h*) "Deluxe service stage carriage" means a motor vehicle constructed or adapted to carry more than six passengers excluding the driver for hire or reward at separate fares paid by or for individual passengers, either for the whole journey or for stages of the journey having seating space of not less than 450 square millimetre for each passenger and minimum leg space of not less than 330 millimetre.

(*j-i*) "Air conditioned service stage carriage" means a motor vehicle constructed or adapted to carry more than six passengers excluding the driver for hire or reward at separate fares paid by or for individual passengers, either for the whole journey or for stages of the journey having an air conditioning equipment fitted for regulating the temperature inside such stage carriage;

(*j-j*) "Night service stage carriage" means a motor vehicle constructed or adapted to carry more than six passengers excluding the driver for hire or reward at separate fares paid by or for individual passengers, either for the whole journey or for stages of the journey which according to the time table allotted/prescribed by the Regional Transport Authority ply from the originating destination after 5 P.M. and reach terminating destination on or before 5 A.M. the next day ;

(*j-k*) "Construction equipment vehicle" means rubber tyred (including pneumatic tyred), rubber padded or steel drum wheel mounted, self propelled, excavator, loader, mobile crane, dozer, fork lift truck, self-loading concrete mixer or any other construction equipment vehicle or combination thereof designed for off-highway operations in mining, industrial undertaking, irrigation and general construction but modified and manufactured with "on or off" or "on and off" highways capabilities ; and ".

3. For section 3 of the principal Act, the following shall be substituted, namely:— Substitution of section 3.

"3. (1) Subject to the other provisions of this Act, on and from the commencement of the Himachal Pradesh Motor Vehicles Taxation (Amendment) Act, 2004, there shall be levied, charged and paid to the State Government, a tax on all motor vehicles specified in column (2) of Schedule-I, used or kept for use in Himachal Pradesh, at the rate as may be specified by the State Government, by notification, but not exceeding the rates specified in column (3) of Schedule-I.

(2) On and from the commencement of the Himachal Pradesh Motor Vehicles Taxation (Amendment) Act, 2004, there shall be levied, charged and paid to the State Government, a tax on motor cycles/scooters or personal vehicles, used or kept for use in Himachal Pradesh, for a period of fifteen years from the date of issue of certificate of registration under sub-section (3) of section 41 of the Motor Vehicles Act, 1988, at the rates as may be specified by the State Government, by notification, on the basis of the price of such motor cycle/scooter or personal motor vehicles, subject to the maximum of ten percent of the price thereof. (59 of 1988)

(3) Notwithstanding anything contained in sub-section (1), on and from the commencement of the Himachal Pradesh Motor

Vehicles Taxation (Amendment) Act, 2004, there shall be levied, charged and paid to the State Government, a tax on motor cabs or maxi cabs which are allowed to be converted as personal motor vehicles, and on second hand personal motor vehicles which are to be registered in the State of Himachal Pradesh for the first time, used or kept for use in Himachal Pradesh, at the rates as may be specified by the State Government, by notification, subject to the maximum of ten percent of the price of such motor vehicles to be determined by the taxation authority after deducting eight percent depreciation per annum from the original price of the motor vehicle provided that,—

(*a*) in the case of motor vehicles having original price upto two lacs fifty thousand rupees, the floor price shall not be less than fifty thousand rupees, or

(*b*) in the case of motor vehicles having original price more than two lacs fifty thousand rupees but not exceeding five lacs fifty thousand rupees, the floor price shall not be less than one lac rupees, or

(*c*) in the case of motor vehicles having original price more than five lacs fifty thousand rupees but not exceeding ten lacs rupees, the floor price shall not be less than two lacs rupees, or

(*d*) in the case of motor vehicles having original price more than ten lacs rupees, the floor price shall not be less than four lacs rupees, or

(*e*) in the case of two wheelers, the floor price shall not be less than five thousand rupees.

(4) Notwithstanding anything contained in sub-sections (2) and (3), on and from the commencement of the Himachal Pradesh Motor Vehicles Taxation (Amendment) Act, 2004, there shall be levied, charged and paid to the State Government, a tax on motor cycles/scooters or personal motor vehicles, used or kept for use in Himachal Pradesh, for every further period of five years from the date of their renewal of certificate of registration under sub-section (10) of section 41 of the Motor Vehicles Act, 1988, at the rates as may be specified by the State Government, by notification, but not exceeding fifty percent of the tax paid at the time of first registration of such motor cycles/scooters or personal motor vehicles.

Amendment of section 4-A.

4. In section 4-A of the principal Act, in sub-section (2), in the proviso, for the words, signs and figure "in Schedule-III, referred to in section 3-A of this Act", the words and sign "Schedule-I" shall be substituted.

Amendment of section 7-A.

5. In section 7-A of the principal Act, after sub-section (5), the following shall be added, namely:—

"(6) Where an owner makes default in the payment of tax or penalty under this Act, for a continuous period of two months or more

and makes a request to allow him to deposit the tax and penalty due, in instalments, the taxation authority may after obtaining surety bond equal to the amount of tax or penalty due from him, allow such owner to deposit the outstanding tax and penalty thereon, in six monthly instalments, subject to the condition that such owner deposits twenty five percent of the amount of tax and penalty due, immediately as the first instalment.".

6. In section 10 of the principal Act,— Amendment of section 10.

(a) sub-section (3) shall be deleted ; and

(b) after sub-section (5), the following sub-section shall be added, namely:—

"(6) Where any person proves to the satisfaction of the taxation authority that the tax has been wrongly levied, charged and paid on a motor vehicle under this Act, the taxation authority shall refund the tax, so paid by him, after obtaining approval of the Commissioner.".

7. In section 14 of the principal Act,— Amendment of section 14.

(a) for sub-section (2), the following shall be substituted, namely:—

"(2) When the registered owner or the person having possession or control of a motor vehicle specified in Schedule-I or Schedule-III has given previous intimation in writing to the taxation authority that the motor vehicle would not be used in any public place, for a particular period, being not less than one month but not more than three months and deposits the certificate of registration of such motor vehicle alongwith route permit with the taxation authority concerned and obtained an acknowledgement thereof, he shall be exempted from the payment of tax for that period, and the taxation authority shall also inform in writing the Superintendent of Police, Regional Manager, Himachal Road Transport Corporation concerned and the Director of Transport, to ensure that such vehicle is not used in any public place during the specified period." ; and

(b) sub-section (6) shall be deleted.

8. In section 16 of the principal Act, in sub-section (2), for the words "take or cause to be taken such steps as he may consider necessary for the safe custody of the vehicle", the words and sign "keep such vehicle in safe custody of the Officer-in-Charge of nearest police station or in any other place, as he may consider necessary for the safe custody of such vehicle, at the cost of owner of the vehicle, at the rates as may be prescribed", shall be substituted. Amendment of section 16.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

Under the Himachal Pradesh Motor Vehicles Taxation Act, 1972, definitions of motor vehicles *i.e.* Ordinary service stage carriage, Semi deluxe service stage carriage, Deluxe service stage carriage, Air conditioned service stage carriage, Night service stage carriage and Construction equipment vehicles have not been provided which may cause legal complications. Apart from this, the expression "price of motor vehicle" is also not defined in the Act *ibid*. Thus it has been decided to provide definitions of these expression in the Act. Further the Registration Certificate of personal motor vehicle is valid upto fifteen years and thereafter, renewed for every further period of five years. Whereas, the tax on such personal vehicle is charged for a life time which is causing huge revenue loss to the State Exchequer. Now it has been decided to charge tax on such personal vehicle for a period of fifteen years in the first instance and thereafter, for every further period of five years.

Presently tax is not leviable on transport vehicles (motor cabs/maxi cabs) which are converted into personal vehicles and on second hand vehicles which are to be registered first time in the State of Himachal Pradesh. As such, it has also been decided to make provision to levy a tax on such vehicles. Provisions for refund of tax, where it has wrongly been levied, charged or paid is also to be made as no such provision is available in the Act *ibid*. A provision to allow deposit of tax arrears and penalty in six monthly instalments is also proposed to be made so that tax arrears do not mount and relief is also granted to honest tax payers. Further a provision to empower the State Government to prescribe rates of custodial charges, in cases where the vehicle is impounded for non-payment of tax and kept in safe custody, is also proposed to be made. This has necessitated amendments in the Act *ibid*.

This Bill seeks to achieve the aforesaid objectives.

G. S. BALI,
Minister-in-charge.

SHIMLA
The................*June*, 2004.

FINANCIAL MEMORANDUM

Clause 3 of the Bill seeks to provide for levy of tax on personal vehicles for every further period of five years on completion of fifteen year life and also provides for levy of tax on such commercial vehicles which are to be converted into personal vehicles. This levy will yield approximately one crore rupees annually to the State Exchequer. The bill, if enacted, will be administered by the existing Government machinery and there will be no additional expenditure out of the State Exchequer.

MEMORANDUM REGARDING DELEGATED LEGISLATION

Clause 8 of the Bill empowers the State Government to make rules specifying the rate of custodial charges in cases where a vehicle is impounded/seized for non-payment of tax or penalty.

RECOMMENDATION OF THE GOVERNOR UNDER ARTICLE 207 OF THE CONSTITUTION OF INDIA

[Department file No. TPT-A (2) 2/2003]

The Governor, Himachal Pradesh, after having been informed of the subject matter of the proposed Himachal Pradesh Motor Vehicles Taxation (Amendment) Bill, 2004, recommends, under article 207 of the Constitution of India the introduction in and consideration by the State Legislative Assembly of the said bill.

THE HIMACHAL PRADESH MOTOR VEHICLES TAXATION (AMENDMENT) BILL, 2004

A

BILL

further to amend the Himachal Pradesh Motor Vehicles Taxation Act, 1972 (*Act No.* 4 *of* 1973).

G. S. BALI,
Minister-in-Charge.

SURINDER SINGH THAKUR,
Secretary (*Law*).

SHIMLA :
The..............*June*, 2004.

नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित